रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2014/अग्रहायण 5, 1936
No. 280] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2014/AGRAHAYANA 5, 1936

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

सं.आरएस.7/5/2014-एल.—राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में यथागृहीत राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किए जाते हैं:—

I

नियम 38-प्रश्नों के लिए समय

वर्तमान नियम 38 को निम्नलिखित के साथ **प्रतिस्थापित** किया जाए:

38. प्रश्नों के लिए समय

जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दें, प्रश्नों का समय मध्याह्न 12.00 बजे से म.प. 1.00 बजे तक होगा।

II

नियम 51क- मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की संख्या की सीमा

वर्तमान नियम 51क को निम्नलिखित के साथ **प्रतिस्थापित** किया जाए:

51क. मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की संख्या की सीमा

किसी एक दिन के लिए मौखिक और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में शामिल किये जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या 175 तक सीमित होगी, जिसमें मौखिक उत्तर के लिए 15 प्रश्न, लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की एक सूची से दूसरी सूची में स्थगित किए गए प्रश्न तथा राष्ट्रपति शासनाधीन राज्यों से संबंधित 15 प्रश्न शामिल हैं।

III

नियम 180- अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना

नियम 180 के वर्तमान उप-नियम 5 को निम्नलिखित के साथ **प्रतिस्थापित** किया जाए:

180(5). प्रस्तावित विषय को सभा की बैठक के दौरान मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे के अलावा किसी अन्य समय पर नहीं उठाया जाएगा।

शमशेर के. शरीफ, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2014

No. RS. 7/5/2014-L.—The following amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) as adopted by the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th November, 2014 are hereby published for general information:—

I

Rule 38 - Time for Questions

The existing rule 38 **be substituted** with the following:

38. Time for Questions

Unless the Chairman otherwise directs, the Question Hour shall be from 12.00 noon to 1.00 p.m.

II

Rule 51A - Limit on number of Questions for oral and written answers

The existing rule 51A **be substituted** with the following:

51A. Limit on number of questions for oral and written answers

The total number of questions to be included in the lists of questions for oral and written answers for any one day shall be limited to 175 including 15 questions for oral answers, questions postponed from one list of questions to another for written answers and fifteen questions pertaining to the States under the President's Rule.

III

Rule 180 - Calling Attention to matters of urgent public importance

The existing sub-rule 5 of Rule 180 **be substituted** with the following:

180(5). The proposed matter shall be raised at 2.00 p.m. and at no other time during the sitting of the Council.

SHUMSHER K. SHERIFF, Secy.-General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.